झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(झारखण्ड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण)

<u>आदेश</u>

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना संख्या -61(13) दिनांक-16.03.2020 के द्वारा COVID-19 नामक महामारी की गंभीरता को देखते हुये The Jharkhand State disease (COVID-19 Regulation 2020 जारी किया गया है। उक्त रेगुलेशन के आलोक में पत्रांक 62(13) दिनांक 16.03.2020 के द्वारा राज्य में अवस्थित सभी कोटि के प्रारंभिक विद्यालय (अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त सहित) को तत्काल प्रभाव से 14.04.2020 तक बंद रखने का आदेश निर्गत किया गया है। संयुक्त सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार के पत्रांक F.No-1-2/2020 DESK(MDM) दिनांक 20.03.2020 के द्वारा उक्त महामारी के फलस्वरूप विद्यालय के बंद होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा छात्र-छात्राओं के पोषण आवश्यकताओं (Nutritional Requirements) की प्रतिपूर्ति हेतु मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत अर्हताधारी छात्र-छात्राओं को पका हुआ मध्याह्न भोजन अथवा देय खाद्यान्न एवं कुकिंग कॉस्ट की राशि, जो संभव हो, उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। चुंकि पका हुआ मध्याह्न भोजन के लिए बच्चों की विद्यालय परिसर में उपस्थिति अनिवार्य होगी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संभव नहीं है, को दृष्टिपथ में रखते हुये कच्चा खाद्यान्न एवं कुकिंग कॉस्ट की राशि नगद देने का निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्टीयरिंग-सह-मॉनिटरिंग कमिटि की दिनांक 18.03.2020 की बैठक में भी इस आशय का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त के आलोक में विद्यालय बंद की अवधि में अहर्ताधारी छात्र-छात्राओं को खाद्यान्न एवं कुकिंग कॉस्ट की राशि उपलब्ध कराने हेतु निम्न आदेश दिया जाता है :-

i. विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक जो SMC के सचिव हैं, विद्यालय में वर्ग 1-5 नामांकित छात्र/छात्राओं को बंद अवधि में देय चावल @100gm. प्रति बच्चा प्रतिदिन की दर से कुकिंग कॉस्ट रू0 4.48 प्रति छात्र प्रतिदिन की दर से उपलब्ध करायेंगे।

ii. विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक जो SMC के सचिव हैं, विद्यालय में वर्ग 6-8 नामांकित छात्र/छात्राओं को बंद अवधि में देय चावल @150gm. प्रति बच्चा प्रतिदिन की दर से कुकिंग कॉस्ट रू0 6.71 प्रति छात्र प्रतिदिन की दर से उपलब्ध करायेंगे।

iii. वितरण एक ही चरण में होगा। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 17 मार्च से 31 मार्च'2020 (22, 27 एवं 29 मार्च 2020 के अवकाश के दिनों को

Scanned by CamScanner

छोड़कर) तक प्रथम चरण एवं 01 अप्रैल से 14 अप्रैल 2020 (02,05,06,10 एवं 12 अप्रैल 14 अप्रैल 2020 के अवकाश के दिनों को छोड़कर) तक का देय होगा। दोनों वित्तीय वर्ष का ब्योरा अलग-अलग संधारित किया जायेगा।

iv. पंजी संधारित कर वितरण की प्रविष्टि की जाएगी। कक्षा 1 से 2 के लिए प्राप्तकर्त्ता विद्यार्थी एवं अभिभावक दोनों में से किसी एक का हस्ताक्षर प्रविष्टि के सामने प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कक्षा 3 से 8 में अभिभावक एवं विद्यार्थी दोनों का हस्ताक्षर प्राप्त किया जायगा।

v. पूरक पोषाहार (अंडा/फल) की राशि भी इस हेतु निर्धारित कार्य दिवस के अनुरूप दिया जाएगा, जिसकी प्रविष्टि वितरण की तिथि को की जाएगी। प्रथम चरण में 27 एवं 31 मार्च 2020 को तथा द्वितीय चरण में 01 एवं 04 अप्रैल 2020 के लिये वितरण किया जायगा। इस हेतु संधारित पंजी में ही अलग कॉलम में प्रविष्टि की जाएगी।

vi. खाद्यान्न/पूरक पोषाहार/कुकिंग कॉस्ट की राशि का वितरण विद्यालय प्रबंधन समिति एवं प्र0अ0/प्रभारी प्र0अ0 (सचिव, एस.एम.सी.) के समक्ष होगा। वितरण का कार्य गांव/टोला में जाकर किया जायगा।

vii. वितरण का कार्य पूर्वाह्न 09 बजे से अपराह्न 01 बजे तक होगा। इसकी पूर्व सूचना दी जाय।

viii. छात्र-छात्राओं के बीच वितरण का फोटोग्राफ एवं वितरण के पश्चात पंजी के प्रासंगिक पृष्ट का फोटो लेकर मोबाईल में सुरक्षित रखा जाएगा एवं इसे व्हाट्सअप (मो.नं.-9234273385 एवं 9608477121) पर अथवा ईमेल-mdmjharkhand@gmail.com पर प्रेषित करते हुए उपलब्ध कराया जाए।

ix. वितरण की प्रविष्टि दोनों अवधि का अलग-अलग निम्न प्रपत्र में की जायगी :-

जिला का नाम :-

प्रखण्ड का नाम :-

विद्यालय का नाम :-

वितरण की अविध :- प्रथम चरण (12 दिन), अंडा/फल (2 दिन),

क्रमांक	छात्र/छात्रा का नाम	कक्षा 1 से 5 (प्रति विद्यार्थी)	खाद्यान्न की मात्रा (12 दिन)	कुकिंग कॉस्ट की राशि (12 दिन)	अण्डा/फल (2 दिन)
			@100g x 12	@Rs.4.48 x 12	@Rs.6.00 x 2
			Total = 1.20 kg	**=Rs. 53.76**	**=Rs. 12.00**

क्रमांक	छात्र/छात्रा का नाम	कक्षा 6 से 8 (प्रति विद्यार्थी)	खाद्यान्न की मात्रा (12 दिन)	कुकिंग कॉस्ट की राशि (12 दिन)	अण्डा/फल (2 दिन)
			@150g x 12	@Rs.6.71 x 12	@Rs.6.00/विद्यार्थी
			Total = 1.80 kg	**=Rs. 80.52**	**=Rs. 12.00**

Scanned by CamScanner

वितरण की अविध :- द्वितीय चरण (08 दिन), अंडा/फल (2 दिन),

क्रमांक	छात्र/छात्रा का नाम	कक्षा 1 से 5 (प्रति विद्यार्थी)	खाद्यान्न की मात्रा (08 दिन)	कुकिंग कॉस्ट की राशि (08 दिन)	अण्डा/फल (2 दिन)
			@100g x 8	@Rs.4.48 x 8	@Rs.6.00 x 2
			Total =0.8 kg	=Rs. 35.84	=Rs. 12.00

क्रमांक	छात्र/छात्रा का नाम	कक्षा 6 से 8 (प्रति विद्यार्थी)	खाद्यान्न की मात्रा (08 दिन)	कुकिंग कॉस्ट की राशि (08 दिन)	अण्डा/फल (2 दिन)
			@150g x 8	@Rs.6.71 x 8	@Rs.6.00/विद्यार्थी
			Total = 1.20 kg	=Rs. 53.68	=Rs. 12.00

X. संबंधित प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी अपने प्रखण्ड के लिए समेकित प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधीक्षक को एवं जिला शिक्षा अधीक्षक राज्य प्राधिकरण कार्यालय को 30.03.2020 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

Xi. तत्काल व्यय उपलब्ध राशि से किया जाय। जहां राशि कम होगी, वहां निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण राशि उपलब्ध करायेंगे।

Xii. निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण इसका नियमित अनुश्रवण करेंगे।

निदेश है कि तत्काल प्रभाव से उपर्युक्त का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन,

Ap 20/03/2020

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :- झा.रा.म.भा.प्रा.18/2020...160...../ रांची, दिनांक :- ..20../..03../2020

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव झारखण्ड / सभी उपायुक्त / सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी जिला शिक्षा अधीक्षक एवं सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Ap 20/03/2020

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
प्रधान सचिव।

Scanned by CamScanner